राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 966/2024

धर्मेन्द्र कुमार सोनी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एवं मिशन निदेशक, जन जीवन मिशन, राजस्थान जयपुर।
3. उप शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भिवाड़ी इन्टेगेटेड विकास प्राधिकरण, भिवाड़ी, अलवर।
5. मुख्य अभियंता (प्रशासन), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 27.02.2024
आदेश की दिनांक :

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री त्रिभुवन नारायण सिंह, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 14.01.2023 (अनुलग्नक–4) के द्वारा अपीलार्थी का प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापन अधिशाषी अभियंता के पद पर नगर विकास न्यास भिवाड़ी में किया गया, जहां पर अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 11.01.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी को निलम्बित किया जाकर मुख्यालय कार्यालय मुख्य अभियंता (प्रशासन), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर में किया गया। कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 16.01.2024 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी के निलम्बन की पुष्टि की गई। अपीलार्थी द्वारा निलम्बन आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या

1082/2024 दायर की गई, जिसमें पारित आदेश दिनांक 12.02.2024 द्वारा अपीलार्थी को माननीय अधिकरण में याचिका दायर करने की सलाह दी गई (अनुलग्नक–3)। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 16.03.2016 (अनुलग्नक–5) द्वारा मैसर्स डीम कन्सट्रक्शन कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड, गोपालपुरा, टोंक रोड़ को विस्तृत वर्क ऑर्डर दिया गया था, जिसकी 10 प्रतिशत अनुबन्ध राशि रूपये 2,27,21000/– की स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, तिलक नगर, जयपुर की बैंक गारंटी क्रमांक 45/2015–16 दी गई थी। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 18.09.2019 को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, खण्ड बहरोड़ चार्ज लिया था (अनुलग्नक–6)। भारतीय स्टेट बैंक के पत्र दिनांक 15.10.2019 (अनुलग्नक–7) के द्वारा मैसर्स डीम कन्सट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड के पक्ष में 80 लाख रूपये की बैंक गारन्टी जारी की गई। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 21.10.2019 को भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इन्डिया मुंबई को बैंक गारन्टी की पुष्टी करने हेतु लिखा गया। डीम कन्सट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड के पत्र दिनांक 22.10.2019 द्वारा बैंक गारन्टी के 80 लाख रूपये लौटाने का निवेदन किया गया। स्टेट बैंक ऑफ इन्डिया के पत्र दिनांक 23.10.2019 द्वारा अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, अलवर को ई–मेल से सूचित किया कि मैसर्स डीम कन्सट्रक्शन के पक्ष में 80 लाख रूपये की बैंक गारन्टी जारी की गई है। मुख्य प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इन्डिया मुंबई द्वारा दिनांक 24.10.2019 को अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, अलवर को सूचित किया गया कि आपके पत्र दिनांक 21.10.2019 के संबंध में मैसर्स डीम कन्सट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड, जयपुर के पक्ष में कोई बैंक गारन्टी जारी नहीं की गई है, यदि आपको को कोई बैंक गारन्टी प्राप्त हुई है तो वह जाली है। तत्पश्चात अधिशाषी अभियंता द्वारा मैसर्स डीम कन्सट्रक्शन को दिनांक 11.11.2019, 09.12.2019 एवं 24.02.2020 को पत्र लिखकर बैंक गारन्टी के संबंध स्पष्टीकरण देवें और किसी राजस्थान के किसी नैशनल बैंक की बैंक गारन्टी रूपये 2,27,21000/– रूपये की नवीनतम बैंक गारन्टी प्रस्तुत करे तथा दिनांक 17.01.2020 को अधिशाषी अभियंता द्वारा अतिरिक्त मुख्य अभियंता अलवर को उपरोक्त वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा मैसर्स डीम कन्सट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड के विरूद्ध एफ.आई.आर. 159/2020 पुलिस थाना भिवाडी, अलवर में दिनांक 03.03.2020 को दर्ज करवाई गई (अनुलग्नक–8)। तत्पश्चात् वित्त कमेटी की अनुशंसा पर अपीलार्थी को दिया वर्क ऑडर को

समाप्त किया गया तथा पत्र दिनांक 23.09.2020 के द्वारा मैसर्स डीम कन्सट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड से 119762542/– एवं 58358168/– रूपये वसूली करने के नोटिस जारी किये गये तथा प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध जांच कमेटी का गठन किया गया। जांच कमेटी द्वारा दिनांक 07.07.2023 (अनुलग्नक–9) को प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 11.01.2024 के द्वारा अपीलार्थी को निलम्बित किया गया।

3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा सीसीए नियम 1958 के नियम की प्रति (अनुलग्नक–10) पर संलग्न की गई है तथा कार्मिक विभाग के पत्र दिनांक 21.07.2018 (अनुलग्नक–11) के द्वारा निलम्बन एवं निलम्बन की पुष्टि के संबंध में संलग्न की है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 11.01.2024 एवं कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 16.01.2024 को अपास्त किया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करें कि अपीलार्थी को बहाल किया जाकर पूर्व पदस्थापित स्थान पर ही पदस्थापित किया जाकर कार्य करने दिये जावे एवं वेतन सहित समस्त पारिणामिक लाभ दिया जावे।

4. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने अपील का पुरजोर विरोध करते हुए कथन किया है कि अपीलार्थी अधिशाषी अभियंता पीएचईडी के रूप में भिवाड़ी एकीकृत विकास प्राधिकरण (बीआईडीए) में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत थे। अपीलार्थी के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच के संदर्भ में उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा प्रस्तुत की गई जांच रिपोर्ट में इनके द्वारा गंभीर वित्तीय अनियमितता का दोषी पाये जाने पर अपीलार्थी को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार के द्वारा आदेश दिनांक 11.01.2024 द्वारा अपीलार्थी को निलम्बित किया गया, जिसकी पुष्टि कार्मिक विभाग के पत्र दिनांक 31.07.2018 के अनुपालना में दिनांक 16.01.2024 के द्वारा की गई तथा अपीलार्थी के विरूद्ध सीसीए नियम 16 के तहत् विभागीय जांच कार्यवाही प्रस्तावित की गई। कार्मिक विभाग के ज्ञापन दिनांक 14.05.2024 के द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत ज्ञापन दिया गया है। अतः अपील खारिज किये जाने योग्य है।

5. हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

6. प्रकरण के तथ्यों एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी अधिशाषी अभियंता पीएचईडी के रूप में भिवाड़ी एकीकृत विकास प्राधिकरण (बीआईडीए) में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत थे। अपीलार्थी के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच के संदर्भ में उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा प्रस्तुत की गई जांच रिपोर्ट में इनके द्वारा गंभीर वित्तीय अनियमितता का दोषी पाये जाने पर अपीलार्थी को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार के द्वारा आदेश दिनांक 11.01.2024 द्वारा अपीलार्थी को निलम्बित किया गया, जिसकी पुष्टि कार्मिक विभाग के पत्र दिनांक 16.01.2024 के द्वारा की गई है तथा कार्मिक विभाग के ज्ञापन दिनांक 14.05.2024 के द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत ज्ञापन दिया जा चुका है। अतः प्रत्यर्थी विभाग के द्वारा नियमानुसार की गई कार्यवाही में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

7. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य